

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1101 / गोपनीय / 2023
दो-3-5 / 2019 (2023)

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर, 2023

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री अरुंधती काकोडिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती अरुंधती परस्ते” पति श्री हिमांशु परस्ते करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

28/11/2023
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 1102 / गोपनीय / 2023
दो-3-5 / 2019 (2023)


जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल- 462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. श्रीमती अरुंधती परस्ते, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 249 / Execution clerk / 2023, दिनांक 09-11-2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 1078 / लेखा अनु. / 23, दिनांक 21.11.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- 7 डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8 Registrar (I.T.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 9 रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ डी०ए० (गोपनीय) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के आलोक में संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति डाउनलोड कर लेवें।



रजिस्ट्रार जनरल